This question paper contains 7 printed pages.]

3460 *Your Roll No. .....*

LL.B./IV Term B

Paper LB-4032 – LABOUR LAW-II

Time : 3 Hours *Maximum Marks : 100*

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)
(इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।)

Note : *Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.*

टिप्पणी : *इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।*

*Attempt any **five** questions.*
All questions carry equal marks.

*कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर लिखिए।*
सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. An Industrial Tribunal, on a reference for adjudication under the provisions of the Industrial Disputes Act,

1947, gave its award. Aggrieved Workers' Union preferred an appeal to the Supreme Court under Art. 136 of the Constitution of India. The management raised a preliminary objection.

The Supreme Court has no jurisdiction to grant special leave to appeal as the Industrial Tribunal is neither a 'Court' nor its determination is of a 'judicial nature'.

(a) Decide the issue.

(b) Would it make any difference had the award been given by an 'Industrial Arbitrator' under section 10-A of the I.D. Act, 1947 ?

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अन्तर्गत न्याय-निर्णयन हेतु निर्देश पर औद्योगिक अधिकरण ने अपना अधिनिर्णय किया। व्यथित कर्मकार यूनियन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में अपील की। प्रबंधकों ने यह प्रारम्भिक आपत्ति उठाई।

उच्चतम न्यायालय के पास अपील करने के लिए विशेष अनुमति मंजूर करने की कोई अधिकारिता नहीं है क्योंकि औद्योगिक अधिकरण न तो न्यायालय है और न ही उसका अवधारण 'न्यायिक प्रकृति' का है।

(अ) इस विवाद्यक का विनिश्चय कीजिए।

(ब) यदि अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-ए के अन्तर्गत किसी औद्योगिक मध्यस्थ द्वारा किया जाता तो क्या कोई अन्तर पड़ता ?

2. The power of reference of the appropriate government under section 10(i) of the I.D. Act, 1947 is administrative in nature. However, the discretionary power of the appropriate government is not unguided and absolute.

Under what circumstances and how is the power controlled by the process of judicial review ? Support your answer with decided cases.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1) के अन्तर्गत समुचित सरकार का निर्देश प्रशासनिक प्रकृति का होता है। मगर समुचित सरकार की वैवेकिक शक्ति अनियंत्रित और आत्यंतिक नहीं है। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया द्वारा किन परिस्थितियों में तथा किस प्रकार उक्त शक्ति को नियंत्रित किया जाता है ? अपने उत्तर को विनिश्चित केसों से पुष्ट कीजिए।

3. (a) An industrial tribunal gave an award about the wages of workmen and sent it to the appropriate Government for publication. But before the publication of the award the management and workmen arrive at a settlement and request the

appropriate Government not to publish the award in view of the settlement. But the appropriate Government insists to publish it.

Is the appropriate Government justified in insisting to publish the Award ? Discuss.

(b) An award of the industrial tribunal is published by the appropriate government after 40 days of its receipt under section 17(1). Is the award legally binding under the Industrial Disputes Act, 1947 ?

(अ) एक औद्योगिक अधिकरण ने कर्मकारों की मजदूरी के बारे में अधिनिर्णय किया तथा इसे प्रकाशनार्थ समुचित सरकार को भेज दिया। किन्तु अधिनिर्णय के प्रकाशन से पहले ही प्रबंधकों और कर्मकारों का समझौता हो गया। उन्होंने समुचित सरकार से समझौते को देखते हुए अधिनिर्णय को प्रकाशित न करने का अनुरोध किया। किन्तु समुचित सरकार का इसको प्रकाशित करने का आग्रह है।

क्या समुचित सरकार का अधिनिर्णय को प्रकाशित करने का आग्रह न्यायोचित है ? विवेचन कीजिए।

(ब) औद्योगिक अधिकरण के एक अधिनिर्णय को समुचित सरकार द्वारा प्राप्ति के 40 दिन के बाद धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया जाता है ? क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत अधिनिर्णय विधिक रूप से आबद्धकर है ?

4. Discuss the principles involved in conducting a fair domestic enquiry and also the permissibility of simultaneous criminal trial and disciplinary proceedings.

एक निष्पक्ष आंतरिक जाँच करने में शामिल सिद्धान्तों और उसी के साथ-साथ दांडिक विचारण तथा अनुशासनिक कार्यवाहियों को करने की अनुज्ञेयता का विवेचन कीजिए।

5. What was the purpose in inserting section 11-A in the Industrial Disputes Act, 1947 ? Discuss in the light of divided cases legal position prior to and after the insertion of section 11-A in the I.D. Act, 1947.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में धारा 11-ए को अन्तःस्थापित करने का क्या प्रयोजन था? विनिश्चित केसों तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में धारा 11-ए की अन्तःस्थापना से पूर्व तथा पश्चात् की विधिक स्थिति को देखते हुए विवेचन कीजिए।

6. (a) Can the employer revise wage structure of its workmen to their prejudice ?

(b) What criteria would you apply in determining whether the wage structure in any particular industry is fair wage or not ? What is living wage ?

(अ) क्या नियोक्ता कर्मकारों की मजदूरी के ढांचे का उनके प्रतिकूल परिशोधन कर सकता है ?

(ब) यह अवधारित करने के लिए आप कौनसी कसौटी लागू करोगे कि क्या किसी उद्योग विशेष में मजदूरी ढांचा उचित मजदूरी है या नहीं है ? निर्वाह मजदूरी क्या होती है ?

7. "An employer is liable to pay compensation for any personal injury caused to a workman by an accident arising out of and in course of his employment. And the premises of the employer have got to be extended both in time and place with the help of the doctrine of notional extension for the purposes of employer's liability".

Elucidate with the help of judicial precedents.

"नियोक्ता कर्मकार को उसके नियोजन के अनुक्रम में तथा उससे उद्भूत दुर्घटना द्वारा कारित किसी भी वैयक्तिक क्षति की प्रतिपूर्ति करने के दायित्वाधीन होता है। नियोक्ता के दायित्व के प्रयोजन हेतु नियोक्ता के परिसरों को समय तथा स्थान दोनों ही रूपों में धारणात्मक विस्तार के सिद्धान्त की सहायता से व्यापक बनाना होगा।"

न्यायिक पूर्वनिर्णयों की सहायता से व्याख्या कीजिए।

8. Discuss briefly any **four** of the following :

(a) Protected workman

(b) Constitution and duties of works committee

(c) Dissimilarities in the function of conciliation officers and the Board of conciliation

(d) Res Judicata in industrial adjudication

(e) Limitation on the powers of industrial tribunal to adjudicate under section 10(4) of the I.D. Act, 1947.

निम्नलिखित में से किन्हीं **चार** का विवेचन कीजिए :

(अ) संरक्षित कर्मकार

(ब) संकर्म समिति का गठन तथा प्रकार्य

(स) सुलह अधिकारियों तथा सुलह बोर्ड के प्रकार्य में असमरूपताएँ

(द) औद्योगिक न्यायनिर्णयन में पूर्वन्याय

(य) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(4) के अन्तर्गत न्यायनिर्णयन करने के लिए औद्योगिक अधिकरण की शक्तियों की परिसीमा।